न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 90/2019 (अपील)

1. अनुराग मिश्रा आत्मज स्व. इन्द्रदत्त स्वाधीन जाति ब्राह्मण
निवासी–बी–38, सिविल लाइन्स नयापुरा कोटा राज0
––अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमति कमला स्वाधीन पत्नि स्व. इन्द्रदत्त स्वाधीन जाति ब्राह्मण
निवासी–बी–38, सिविल लाइन्स नयापुरा कोटा राज0
–––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 13.11.2019 उपखण्ड अधिकारी कोटा, अर्न्तगत धारा 16 माता पिता और वृद्व नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007

निर्णय

दिनांकः– 19 /02/2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा, द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5,23,24 दी मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 के तहत की सुनवाई कर दिनांक 13.11.2019 को आदेश पारित किया कि–" चूंकि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम से सम्बन्धित है तथा प्रार्थीया एक बुजुर्ग महिला है एवं वर्तमान में एक अविवाहित पुत्री की माता भी है जिससे प्रार्थीया एवं प्रार्थीया की पुत्री के स्वास्थ्य एवं अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आदेश प्रदान किये जाते है कि अप्रार्थी, प्रार्थीया की इच्छानुसार प्रार्थीया को मकान नं0–38–बी, सिविल लाईन्स, नयापुरा जिला कोटा में स्थित बडे हॉल वाला पोर्शन में निवास करने दे तथा अपना सामान /कब्जा हटावें । प्रकरण में थानाधिकारी नयापुरा को लिखा जावें कि प्रार्थीया द्वारा वर्णित मकान नं0 –38–बी, सिविल लाईन्स, नयापुरा जिला कोटा में बडे हॉल वाला पोर्शन पर अप्रार्थी से कब्जा दिलवाकर प्रार्थीया को निवास करवायें तथा पालना रिपोर्ट से अवगत करावें ।"

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 18.11.2019 को पेश कर कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने अपने पूरे प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी मकान का कब्जा दिलाने की प्रार्थना नहीं की, मात्र भरण पोषण दिलाने की प्रार्थना की है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान दिये बगैर एवं माईण्ड अप्लाई किये बगैर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य उक्त मकान के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश उत्तर कोटा में एक वाद लम्बित है, अपीलांट के पास बडे हॉल वाला पोर्शन का कब्जा पिछले 15–20 सालों से है एवं उक्त हॉल पर अपीलांट सबकी सहमति से काबिज चला आ रहा है, क्योंकि मकान में अपीलांट नीचे दो कमरों में मय परिवार के निवास करता है उपर अपीलांट ने अपनी स्वयं की अर्जित आय से 4 कमरे बनाये है, रेस्पोडेन्ट नीचे दो कमरों में पुत्री सहित निवास करती है, दो कमरे रेस्पोडेन्ट ने किराये पर दे रखे है, दो कमरों में छोटा भाई अनूप मिश्रा मय परिवार के निवास करता है, दो कमरों में बडी बहिन मधु जिसको पति ने छोड रखा है, निवास करती है इस प्रकार उक्त मकान में सभी पक्षकार मौखिक बंटवारे के तहत अपने अपने पोर्शन

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

में निवास कर रहे है, लेकिन रेस्पोडेन्ट अपनी छोटी पुत्री अर्चना उर्फ जया के बहकावे में आकर अपीलांट को बिना कारण के परेशान करना चाहती है एवं हॉल खाली करवाना चाहती है, जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है,क्योंकि उक्त मकान पिताजी का है जिसकी वसीयत अपीलांट व उसके छोटे भाई अनूप मिश्रा के नाम पिताजी करके गये है । अपीलांट का निवेदन है कि यदि रेस्पोडेन्ट को परिसर की आवश्यकता भी है तो रेस्पोडेन्ट द्वारा किराये पर दिये गये दौनों कमरों को खाली करवाकर उसका कब्जा प्राप्त कर सकती है किन्तु रेस्पोडेन्ट को परिसर की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है, मात्र अपनी पुत्री के बहकावें में आकर झूठा प्रकरण दर्ज करवाकर उक्त आदेश पारित करवा लिया है जो कि रिलीफ रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मांगी ही नहीं गई है । अपीलांट स्लिप डिस्क की बीमारी से ग्रसित है जो कि सिढीया चढने उतरने में असमर्थ है यदि अपीलांट से हॉल खाली करवा लिया गया तो अपीलांट घर से बेघर हो जावेगा, अपीलांट के दो बच्चे है एवं पत्नि है, उनके निवास की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी , रेस्पोडेन्ट को हॉल की कोई आवश्यकता नहीं है, रेस्पोडेन्ट आराम से अपने परिवार सहित बिना किसी परेशानी के निवास कर रही है, अपीलांट एवं अन्य भाई माताजी की पूरी देखभाल करते है, हारी बीमारी में उनका ध्यान रखते है, इस और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान दिये बगैर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है, इस कारण आदेश अधीनस्थ न्यायालय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 13.11.2019 को निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अपीलांट स्वयं उपस्थित, रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक उपस्थित । अपीलांट एवं वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अपने पूरे प्रार्थना पत्र में कही पर भी मकान का कब्जा दिलाने की प्रार्थना नहीं की, मात्र भरण पोषण दिलाने की प्रार्थना की है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान दिये बगैर एवं माईण्ड अप्लाई किये बगैर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य उक्त मकान के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश उत्तर कोटा में एक वाद लम्बित है, अपीलांट के पास बडे हॉल वाला पोर्शन का कब्जा पिछले 15–20 सालों से है एवं उक्त हॉल पर अपीलांट सबकी सहमति से काबिज चला आ रहा है, क्योंकि मकान में अपीलांट नीचे दो कमरों में मय परिवार के निवास करता है उपर अपीलांट ने अपनी स्वयं की अर्जित आय से 4 कमरे बनाये है, रेस्पोडेन्ट नीचे दो कमरों में पुत्री सहित निवास करती है, दो कमरे रेस्पोडेन्ट ने किराये पर दे रखे है, दो कमरों में छोटा भाई अनूप मिश्रा मय परिवार के निवास करता है, दो कमरों में बडी बहिन मधु जिसको पति ने छोड रखा है, निवास करती है इस प्रकार उक्त मकान में सभी पक्षकार मौखिक बंटवारे के तहत अपने अपने पोर्शन में निवास कर रहे है, लेकिन रेस्पोडेन्ट अपनी छोटी पुत्री अर्चना उर्फ जया के बहकावे में आकर अपीलांट को बिना कारण के परेशान करना चाहती है एवं हॉल खाली करवाना चाहती है, जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि उक्त मकान पिताजी का है जिसकी वसीयत अपीलांट व उसके छोटे भाई अनूप मिश्रा के नाम पिताजी करके गये है । अपीलांट का निवेदन है कि यदि रेस्पोडेन्ट को परिसर की आवश्यकता भी है तो रेस्पोडेन्ट द्वारा किराये पर दिये गये दौनों कमरों को खाली करवाकर उसका कब्जा प्राप्त कर सकती है किन्तु रेस्पोडेन्ट को परिसर की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है, मात्र अपनी पुत्री के बहकावें में आकर झूठा प्रकरण दर्ज करवाकर उक्त आदेश पारित करवा लिया है जो कि रिलीफ रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मांगी ही नहीं गई है । रेस्पोडेन्ट को हॉल की कोई आवश्यकता नहीं है, रेस्पोडेन्ट आराम से अपने परिवार सहित बिना किसी परेशानी के निवास कर रही है, अपीलांट एवं अन्य भाई माताजी की पूरी देखभाल करते है, हारी बीमारी में उनका

Scanned by CamScanner

ध्यान रखते है, इस और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान दिये बगैर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है, इस कारण आदेश अधीनस्थ न्यायालय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 13.11.2019 को निरस्त फरमाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया है कि मकान नं0–38–बी, सिविल लाईन्स, नयापुरा जिला कोटा में स्थित है जो रेस्पोडेन्ट के पति स्व0 श्री इन्द्रदत्त जी स्वाधीन की सम्पत्ति थी जिसकी वसीयत व घोषणा पत्र दिनांक 13.7.77 को अपनी पत्नि कमला स्वाधीन के नाम से की गई है, वसीयत की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है । रेस्पोडेन्ट का पुत्र रेस्पोडेन्ट को खर्चा नहीं देता है तथा रूपये की मांग करने पर धक्का मुक्की व मारपीट करता है जिसकी रिपोर्ट थाना नयापुरा में रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई थी । रेस्पोडेन्ट काफी बुजुर्ग अवस्था है, इस कारण चलने फिरने में भी कमजोर है तथा रेस्पोडेन्ट की कोई देखरेख व सार संभाल प्रतिपक्षी द्वारा नहीं की जाती है जबकि उक्त समस्त कार्यो के लिये प्रतिपक्षी नैतिक रूप से जिम्मेदार व सक्षम भी है । रेस्पोडेन्ट के बडे हॉल व नीचे वाले पोर्शन को अप्रार्थी ने अपने कब्जे में कर लिया है और प्रार्थीया के कब्जे वाले पोर्शन पर अपीलांट ने ताला लगा दिया है । रेस्पोडेन्ट बीमार रहने के कारण अपने पोर्शन में ही लेट्रीन–बाथ बनवाना चाहती है ताकि असुविधा का सामना नहीं करना पडे रेस्पोडेन्ट के कमरे पर जबरन कब्जा कर लिया है रेस्पोडेन्ट के पास केवल एक ही कमरा रह गया है । रेस्पोडेन्ट के कमरे में सामान अधिक होने के कारण काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । रेस्पोडेन्ट ने कई बार हॉल का ताला खोलने का अनुरोध किया किन्तु अपीलांट के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और रेस्पोडेन्ट के साथ दुर्व्यवहार किया । मेरी पुत्री जया उर्फ अर्चना रात दिन सेवामें लगी रहती है और इस कारण उसने विवाह भी नहीं किया है । मेरी पुत्री ने उसकी पूरी जिन्दगी रेस्पोडेन्ट की सेवामें ही गुजार दी है तथा रेस्पोडेन्ट का इलाज भी रेस्पोडेन्ट की पुत्री के द्वारा ही करवाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बेदखली के आदेश रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2019 को प्रस्तुत करने पर पारित किये है । अतः अपील सारहीन होने से निरस्त फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया । यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश दिनांक 13.11.2019 के विरूद्व दिनांक 18.11.2019 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद प्रस्तुत है ।

7. अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के वकील को सुना गया, एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट श्रीमति कमला स्वाधीन एवं उनके पति स्वतंत्रता सेनानी थे, रेस्पोडेन्ट काफी वृद्व है तथा उनके पास उनकी सबसे छोटी पुत्री भी उनके पास ही रहती है, ऐसी स्थिति में रहने के लिए कमरों की आवश्यकता स्वाभाविक है, रेस्पोडेन्ट के स्वामित्व का मकान नं0–38–बी, सिविल लाईन्स, नयापुरा जिला कोटा में स्थित है जो रेस्पोडेन्ट के पति स्व0 श्री इन्द्रदत्त जी स्वाधीन की सम्पत्ति थी जिसकी वसीयत व घोषणा पत्र दिनांक 13.7.77 को अपनी पत्नि कमला स्वाधीन के नाम से की गई है, जिस अनुसार उक्त मकान की वह मालिक है, अपीलांट द्वारा अपील मेमो के पैरान0 4 में अंकित किया है कि मकान पिताजी का था जिसकी वसीयत अपीलांट व उसके छोटे भाई अनूप मिश्रा के नाम पिताजी करके गये है, किन्तु अपीलांट द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वसीयत उनके नाम करना साबित हो सकें । अपीलांट का यह कथन भी सत्य सिद्व नहीं हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा मात्र भरण पोषण राशि की मांग की गई थी मकान खाली कराने की प्रार्थना नहीं की गई थी, जबकि इस बाबत हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिस अनुसार दिनांक 2.7.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट द्वारा भरण पोषण राशि की मांग की

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

गई थी, किन्तु दौराने कार्यवाही रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 10.10.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5,23,24 ट्रिब्यूनल एण्ड मेन्टीनेन्सी एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्टस एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 13.11.2019 पारित कर प्रार्थीया के मकान नं. 38–बी, सिविल लाईन्स नयापुरा कोटा स्थित के बडे हॉल वाला पोर्शन पर अपीलांट से कब्जा दिलाने के आदेश किये गये है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

8. परिणामतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.11.2019 यथावत रखा जाता है, साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि इस प्रकरण से सम्बन्धित यदि अन्य किसी न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त होता है तो आदेशानुसार पालना की जावें ।

9. निर्णय आज दिनांक **19.02.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner